उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 125/2023/1664/छप्पन-2023-54/2010
लखनऊ, दिनांक: 29 दिसम्बर, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 के अधीन इकाई एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लखनऊ उ0प्र0 में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1535/छप्पन-10-26/08 टी0सी0 दिनांक 03 दिसम्बर, 2010 द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा को मुख्य प्रवक्ता के पद पर नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 41,000/-(रूपए इकतालीस हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। तदोपरान्त श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा, मुख्य प्रवक्ता की सेवाओं की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनकी संविदा सेवा अवधि वर्षानुवर्ष बढ़ाई जाती रही। शासनादेश संख्या-94/2022/1786/छप्पन-2022-54/2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 द्वारा उनकी संविदा सेवा अवधि दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 से आगामी 01 वर्ष (07 दिसम्बर, 2023 तक) के लिए बढ़ाई गई थी। निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लखनऊ उ0प्र0 द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा, मुख्य प्रवक्ता की संविदा अवधि दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 से आगामी 02 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने की संस्तुति की गई है।

2- अत: निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ के प्रस्ताव दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लखनऊ उ0प्र0 में मुख्य प्रवक्ता के पद पर कार्यरत श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा की संविदा अवधि दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 से आगामी 02 वर्ष (अर्थात् 07 दिसम्बर, 2025 तक) के लिए वर्तमान में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 1,09,095/- (रूपए एक लाख नौ हजार पंचानवे मात्र) पर बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी।

4- श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा से मुख्य प्रवक्ता के पद पर उनकी संविदा सेवा के सम्बन्ध में निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी 01-01 प्रति उन्हें एवं शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

कुमार हर्ष
विशेष सचिव।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0सं0-125/2023/1664(1)/छप्पन-2023-54/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा, मुख्य प्रवक्ता से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी 01 प्रति अभिलेखार्थ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा, मुख्य प्रवक्ता, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
3. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कुमार हर्ष
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।